

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने तबादला नीति, 2022 को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

14 जून, 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति, 2022 को मंजूरी दे दी गई। इस नीतिके तहत 15 से 30 जून तक तबादले किये जाएंगे। यह नीति वर्ष 2022-23 के लिये है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत समूह क और ख के अधिकारियों द्वारा जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे होने पर स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है।
- समूह क और ख के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग व घ के संवर्गवार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक किये जा सकेंगे।
- समूह ख और ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण मरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किये जाने की व्यवस्था की गई है।
- समूह ग के कर्मचारियों के पटल परिवर्तन व क्षेत्र परिवर्तन वषिक शासनादेश को कड़ाई से पालन करने की व्यवस्था की गई है।
- बैठक में पुलिस के 40 हजार पदों पर भरती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई।